XII वर्ष 2021-22 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

वर्ष 2020-21 रिज़र्व बैंक के लिए एक संक्रमण वर्ष था क्योंकि लेखा-वर्ष को 'जुलाई से जून' को बदलकर 'अप्रैल से मार्च' कर दिया गया था और इसलिए, लेखा-वर्ष 2020-21 नौ महीने की अवधि यानी 'जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक' का था। इस प्रकार, अध्याय में प्रस्तुत, चालू वर्ष-2021-22 और पहले के वर्षों (जुलाई से जून) के आँकड़े, पिछले वर्ष (जुलाई 2020 से मार्च 2021) के नौ महीने की अवधि की तुलना में बारह महीने के हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का आकार 8.46 प्रतिशत बढ़ा, जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान इसकी चलनिधि और विदेशी मुद्रा परिचालन को दर्शाता है। वर्ष के लिए आय में जहां 20.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं व्यय में 280.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष के ₹99,122 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के अंत में कुल अधिशेष ₹30,307.45 करोड़ रहा, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 69.42 प्रतिशत की कमी आई।

XII.1 रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, जिससे मुख्य रूप से उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ-साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है।

XII.2 कुछ समितियों की सिफारिशों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में तुलन-पत्र एवं आय विवरण के स्वरूप और विषय-वस्तु में बदलाव आया है (बॉक्स XII.1)।

बॉक्स XII.1
तुलन-पत्र और आय विवरण की प्रस्तुति का स्वरूप

रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र और आय विवरण के स्वरूप और प्रस्तुति आरबीआई सामान्य विनियमावली, 1949 में निर्धारित किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कुछ समितियों की सिफारिशों के आधार पर तुलन-पत्र और आय विवरण की प्रस्तुति के स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं।

वित्तीय विवरणों के स्वरूप और विषय-वस्तु के संबंध में तकनीकी समिति I (अध्यक्ष श्री वाई. एच. मालेगाम) की सिफारिशों को वर्ष 2014-15 से लागू किया गया था। इसके आधार पर, निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं - (i) रिज़र्व बैंक की कुल देयताओं और आस्तियों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए एक एकल तुलन-पत्र तैयार करने हेतु निर्गम और बैंकिंग विभाग के तुलन-पत्रों का विलय कर दिया गया था (हालांकि, निर्गम विभाग की आस्तियों और देयताओं को एकल तुलन-पत्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है); (ii) तुलन-पत्र में केवल आस्तियों और देयताओं की मुख्य मदों की सूचना दी गयी है, जबकि संबंधित विवरण संलग्न अनुसूचियों में दिए गए हैं; (iii) चूंकि विवरण अनुसूची में दिए गए हैं, इसलिए समान प्रकृति की मदों को समूहीकृत किया गया है और एक ही मद के रूप में दिखाया गया है; (iv) 'लाभ और हानि खाते' का नाम बदलकर 'आय विवरण' कर दिया गया है; और (v) चूंकि आय का प्रमुख स्रोत ब्याज आय है, इसलिए ब्याजेतर आय प्रकृति वाले सभी मदों को एक ही शीर्ष के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है और 'अन्य आय' के रूप में दिखाया गया है। समग्र रूप से रिज़र्व बैंक के लिए एकल आय विवरण तैयार किया जाना जारी है।

इसके बाद, रिज़र्व बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति (अध्यक्षः डॉ. बिमल जालान) की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 2020-21 से कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। इनमें शामिल हैं - (i) वित्तीय वर्ष के अनुरूप रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष में 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन; (ii) आर्थिक पूंजी घटकों के संबंध में आरबीआई के वार्षिक खातों की अधिक पारदर्शी प्रस्तुति प्रदान करने की दृष्टि से, 'जोखिम प्रावधान (आकस्मिक निधि और आस्ति विकास निधि)' और 'पुनर्मूल्यन खातों' में शेष को अब अलग तुलन-पत्र शीर्ष के रूप में दिखाया गया है, जो पहले तुलन-पत्र शीर्ष 'अन्य देयताएँ और प्रावधान' का हिस्सा हुआ करते थे; और (iii) चूंकि जोखिम प्रावधान अब अलग से दिखाए गए हैं, इसलिए 'अन्य देयताएँ और प्रावधान' के नाम को बदल कर 'अन्य देयताएँ' कर दिया गया है।

स्रोत: आरबीआई

सारणी XII.1: आय, व्यय और निवल आय की प्रवृत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
ए) आय	78,280.66	1,93,035.88	1,49,672.46	1,33,272.75	1,60,112.13
बी) कुल व्यय[1]	28,276.66[2]	17,044.15[3]	92,540.93[4]	34,146.75[5]	1,29,800.68[6]
सी) निवल आय (ए-बी)	50,004.00	1,75,991.73	57,131.53	99,126.00	30,311.45
डी) निधियों के लिए अंतरण[7]	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ई) केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	50,000.00	1,75,987.73	57,127.53	99,122.00	30,307.45

टिप्पणी: 1. इसमें सीएफ और एडीएफ के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।
2. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹14,189.27 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
3. एडीएफ़ में अंतरण के लिए ₹ 63.60 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
4. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹73,615 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
5. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹20,710.12 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
6. इसमें सीएफ और एडीएफ में अंतरण के लिए क्रमशः ₹1,14,567.01 करोड़ और ₹100 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
7. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹1 करोड़ की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

XII.3 वर्ष 2021-22 के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के प्रमुख वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं।

XII.4 तुलन-पत्र का आकार ₹4,82,633.14 करोड़ बढ़ गया, यानी 31 मार्च 2021 को ₹57,07,669.13 करोड़ से 8.46 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹61,90,302.27 करोड़ हो गया। आस्ति पक्ष में वृद्धि विदेशी एवं घरेलू निवेश, स्वर्ण, ऋण तथा अग्रिम में क्रमशः 4.28 प्रतिशत, 11.67 प्रतिशत, 30.07 प्रतिशत और 54.53 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई थी। देयता पक्ष में वृद्धि जमाराशि और निर्गम किए गए नोटों में क्रमशः 16.24 प्रतिशत और 9.86 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी। घरेलू आस्ति 28.22 प्रतिशत थी, जबकि विदेशी मुद्रा आस्ति और स्वर्ण (स्वर्ण जमा एवं भारत में धारित स्वर्ण सहित) 31 मार्च 2022 को कुल आस्ति का 71.78 प्रतिशत था, जबकि 31 मार्च 2021 तक यह क्रमशः 26.42 प्रतिशत और 73.58 प्रतिशत था।

XII.5 ₹1,14,567.01 करोड़ और ₹100 करोड़ के प्रावधान किए गए और क्रमशः आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में हस्तांतरित किया गया। आय, व्यय, निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्ति और केंद्र सरकार को हस्तांतरित अधिशेष सारणी XII.1 में दी गई है।

XII.6 वर्ष 2021-22 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और अनुसूचियों के साथ आय विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों संबंधी विवरण और लेखा संबंधी सहायक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवार्थ
भारत के राष्ट्रपति

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दृष्टिकोण

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है), संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए और बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज स्पष्टीकरणों के अनुसार, अनुसूचियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और निष्पक्ष है, जिसमें 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार एवं उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में इसके परिचालनों के परिणाम के सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ("आरबीआई अधिनियम, 1934") के सभी आवश्यक प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यकलापों की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

दृष्टिकोण का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुरूप हमने यह लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिया गया है। लेखापरीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की ज़िम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाओं के साथ तात्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत उल्लिखित प्रतीत होती हैं। हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हमारा निष्कर्ष है कि यह अन्य जानकारी जानकारी तात्विक रूप से गलत उल्लिखित है, तो उस तथ्य को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है।

इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कुछ भी हमें नहीं मिला है।

प्रबंधन के दायित्व एवं वित्तीय विवरणों का अभिशासन करने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों का अभिशासन करने वालों का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरण तैयार करें। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित भी शामिल हैं: पर्याप्त लेखापरीक्षा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो सच्चा व सही दृष्टिकोण दें और तात्विक गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटि के कारण हो।

आरबीआई अधिनियम, 1934 के अनुसार, बैंक का परिसमापन केवल केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा और उसके द्वारा निदेशित किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक के वित्तीय विवरण तैयार करने का मूल आधार जहां आरबीआई अधिनियम, 1934 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों पर आधारित है, वहीं प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को अपनाया है जो एक कार्यशील संस्था के रूप में इसकी निरंतरता को दर्शाता है।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की ज़िम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके अभिशासन का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से इस संबंध में आश्वस्त होना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा अपने अभिमत के साथ एक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल

ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखापरीक्षा के एक प्रतिभागी रूप में लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिसादी लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा पद्धति तैयार की जा सके लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के कार्यशील संस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु के साथ-साथ यह मूल्यांकन करते हैं कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित दायरे, समयबद्धता और महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों को एक वक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं, और उन सभी संबंधों और उन अन्य मामलों को सूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित प्रभाव डालते हों, एवं जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया है।

अन्य मामले

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संयुक्त रूप से मेसर्स प्रकाश चंद्र एंड कंपनी तथा मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी, एलएलपी, सनदी लेखाकारों ने अपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 21 मई 2021 के जरिए संपन्न की और रिपोर्ट की, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रदान की गई और वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा के अपने कार्य के उद्देश्य हेतु जिस पर हमने भरोसा किया है। इस मामले में हमारी राय बदली नहीं है।

हम सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिज़र्व बैंक की बाईस लेखांकन इकाइयों का लेखा–जोखा शामिल है, जिनकी लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा-लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते चंदाभॉय एंड जासूभॉय
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 101647W)

कृते जी. एम. कपाड़िया एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 104767W)

अंबेश दावे
भागीदार
सदस्यता सं. 049289
यूडीआईएन : 22049289AJHKHA6587

अतुल साह
भागीदार
सदस्यता सं. 039569
यूडीआईएन : 22039569AJHLDU6907

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 मई 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताएं	अनुसूची	2020-21	2021-22	आस्तियां	अनुसूची	2020-21	2021-22
पूंजी		5.00	5.00	**बैंकिंग विभाग की आस्तियां (बैंवि)**			
आरक्षित निधि		6,500.00	6,500.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	6	12.02	17.13
अन्य आरक्षित निधि	1	234.00	236.00	स्वर्ण - बैंकिंग विभाग	7	1,43,582.87	1,96,864.38
जमाराशियाँ	2	14,91,537.70	17,33,787.56	निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	8	12,29,940.41	11,41,127.75
जोखिम प्रावधान				निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	9	13,33,173.90	14,88,815.96
आकस्मिकता निधि		2,84,542.12	3,10,986.94	खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
आस्ति विकास निधि		22,874.68	22,974.68	ऋण और अग्रिम	10	1,35,118.91	2,08,792.85
पुनर्मूल्यन लेखा	3	9,24,454.99	9,34,544.00	सहयोगी संस्थाओं में निवेश	11	1,963.60	2,063.60
अन्य देयताएं	4	1,50,657.97	75,547.53	अन्य आस्तियां	12	37,014.75	46,900.04
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग की आस्तियां (निवि) (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)**			
जारी किए गए नोट	5	28,26,862.67	31,05,720.56	स्वर्ण- निवि	7	1,04,140.13	1,25,348.98
				रुपये सिक्के		743.40	508.29
				निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	8	27,21,979.14	29,79,863.29
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	9	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक-पत्र		0.00	0.00
						28,26,862.67	**31,05,720.56**
	कुल देयताएं	**57,07,669.13**	**61,90,302.27**	**कुल आस्तियां**		**57,07,669.13**	**61,90,302.27**

आर. कमलाकन्नन	टी.रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	एम.डी.पात्र	एम.के.जैन	शक्तिकांत दास
मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आय	**अनुसूची**	**2020-21**	**2021-22**
ब्याज	13	69,057.09	95,088.76
अन्य आय	14	64,215.66	65,023.37
कुल		**1,33,272.75**	**1,60,112.13**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		4,012.09	4,984.80
मुद्रा विप्रेषण पर व्यय		54.80	82.95
एजेंसी प्रभार	15	3,280.06	4,400.62
कर्मचारी लागत		4,788.03	3,869.43
ब्याज		1.10	1.77
डाक और संचार प्रभार		105.46	140.09
मुद्रण और लेखन-सामग्री		17.00	22.58
किराया, कर, बीमा, बिजली *आदि*		122.24	145.56
मरम्मत और रखरखाव		76.49	109.17
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.36	1.48
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		4.90	6.49
विधिक प्रभार		8.57	14.03
मूल्यह्रास		200.09	280.99
विविध व्यय		765.44	1,073.71
प्रावधान		20,710.12	1,14,667.01
कुल		**34,146.75**	**1,29,800.68**
उपलब्ध शेष राशि		**99,126.00**	**30,311.45**
घटाएं:			
(ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(बी) नाबार्ड को अंतरित योग्य :			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि [1]		1.00	1.00
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि [1]		1.00	1.00
(सी) अन्य			
केंद्र सरकार को देय अधिशेष		**99,122.00**	**30,307.45**

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

आर. कमलाकन्नन	टी.रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	एम.डी.पात्र	एम.के.जैन	शक्तिकांत दास
मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

		2020-21	2021-22
अनुसूची 1:	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	30.00	31.00
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	204.00	205.00
	कुल	**234.00**	**236.00**
अनुसूची 2:	**जमाराशियां**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	5,000.15	5,000.04
	(ii) राज्य सरकारें	42.48	42.45
	उप योग	***5,042.63***	***5,042.49***
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	6,51,748.12	8,23,632.33
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8,893.19	7,592.50
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	9,848.31	10,871.51
	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4,560.21	5,089.60
	(v) अन्य बैंक	23,817.12	29,540.22
	उप योग	***6,98,866.95***	***8,76,726.16***
	(सी) भारत से बाहर के वित्तीय संस्थान		
	(i) रिपो उधार–विदेशी	9,038.44	74,438.88
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन–विदेशी	120.51	1,289.10
	उप योग	***9,158.95***	***75,727.98***
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाते के प्रशासक	4,302.70	4,503.16
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि	39,264.25	48,262.85
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	1,226.67	491.28
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	1,439.68	1,007.61
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	522.50	542.64
	(vi) म्यूचुअल फंड	1.35	1.34
	(vii) अन्य	7,31,712.02	7,21,482.05
	उप योग	***7,78,469.17***	***7,76,290.93***
	कुल	**14,91,537.70**	**17,33,787.56**
अनुसूची 3:	**पुनर्मूल्यन लेखा**		
	(i) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	8,58,877.53	9,13,389.29
	(ii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां(आईआरए-एफएस)	8,853.67	0.00
	(iii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	56,723.79	18,577.81
	(iv) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	0.00	2,576.90
	कुल	**9,24,454.99**	**9,34,544.00**
अनुसूची 4:	**अन्य देयताएं**		
	(i) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	6,127.35	0.00
	(ii) देयराशियों के लिए प्रावधान	3,240.73	3,281.08
	(iii) उपदान और अधिवर्षिता निधि	28,497.67	28,872.79
	(iv) भारत सरकार को अंतरणयोग्य अधिशेष	99,122.00	30,307.45
	(v) देय बिल	4.36	0.14
	(vi) विविध	13,665.86	13,086.07
	कुल	**1,50,657.97**	**75,547.53**
अनुसूची 5:	**जारी नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	11.98	17.07
	(ii) संचलन में नोट	28,26,850.69	31,05,703.49
	कुल	**28,26,862.67**	**31,05,720.56**

		2020-21	2021-22
अनुसूची 6:	**नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैंक के पास)**		
	(i) नोट	11.98	17.07
	(ii) रुपये सिक्के	0.03	0.05
	(iii) छोटे सिक्के	0.01	0.01
	कुल	**12.02**	**17.13**
अनुसूची 7:	**स्वर्ण**		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण	1,43,582.87	1,92,169.72
	(ii) जमा स्वर्ण	0.00	4,694.66
	उप योग	***1,43,582.87***	***1,96,864.38***
	(बी) निर्गम विभाग	1,04,140.13	1,25,348.98
	कुल	**2,47,723.00**	**3,22,213.36**
अनुसूची 8:	**निवेश-विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग	12,29,940.41	11,41,127.75
	(ii) निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	27,21,979.14	29,79,863.29
	कुल	**39,51,919.55**	**41,20,991.04**
अनुसूची 9:	**निवेश घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग	13,33,173.90	14,88,815.96
	(ii) निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	0.00	0.00
	कुल	**13,33,173.90**	**14,88,815.96**
अनुसूची 10:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) केंद्र सरकार	0.00	0.00
	(ii) राज्य सरकार	3,382.79	1,666.56
	उप योग	***3,382.79***	***1,666.56***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	90,252.18	94,365.75
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	25,425.56	23,010.10
	(vi) अन्य	6,905.32	14,506.94
	उप योग	***1,22,583.06***	***1,31,882.79***
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम		
	(i) रिवर्स रिपो उधार-विदेशी	9,129.72	75,190.78
	(ii) रिपो मार्जिन–विदेशी	23.34	52.72
	उप योग	***9,153.06***	***75,243.50***
	कुल	**1,35,118.91**	**2,08,792.85**
अनुसूची 11:	**सहयोगी/अनुषंगी संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00
	(iii) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमि. (आरईबीआईटी)	50.00	50.00
	(iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	30.00	30.00
	(v) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	33.60	33.60
	(vi) रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच)	0.00	100.00
	कुल	**1,963.60**	**2,063.60**

		2020-21	2021-22
अनुसूची 12:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	923.46	882.46
	(ii) **उपचित आय (ए+बी)**	34,643.53	41,769.61
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	*355.37*	*366.08*
	बी. अन्य मदों पर	*34,288.16*	*41,403.53*
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा (एसएए)	0.00	0.00
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए)	0.00	2,576.90
	(v) विविध	1,447.76	1,671.07
	कुल	**37,014.75**	**46,900.04**
अनुसूची 13:	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	59,824.79	96,396.42
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-17,957.86	-35,501.29
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	12.38	37.63
	(iv) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	1,709.00	1,501.82
	उप योग	***43,588.31***	***62,434.58***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	23,059.63	31,559.33
	(ii) रिपो /रिवर्स रिपो लेन-देन पर निवल ब्याज	9.83	42.32
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	2,399.32	1,052.53
	उप योग	***25,468.78***	***32,654.18***
	कुल	**69,057.09**	**95,088.76**
अनुसूची 14:	**आय- अन्य**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) डिस्काउंट	964.16	403.76
	(iii) कमीशन	2,073.97	3,058.09
	(iv) प्राप्त किराया	5.19	11.38
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	5,193.94	6,028.19
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलिओ अंतरण पर मूल्यह्रास	-8.12	-20.07
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	846.48	-1,717.97
	(viii) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	1.38	6.72
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	-108.38	325.09
	उप योग	***8,968.62***	***8,095.19***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-6,715.95	-15,286.09
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	11,348.84	3,002.39
	(iii) विदेशी मुद्रा कारोबार से प्राप्त विनिमय पर लाभ/हानि	50,629.18	68,990.55
	(iv) विविध आय	-15.03	221.33
	उप योग	***55,247.04***	***56,928.18***
	कुल	**64,215.66**	**65,023.37**
अनुसूची 15:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	2,611.05	3,858.95
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	642.95	486.95
	(iii) विविध (राहत /बचत बॉन्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया टर्नओवर प्रभार)	6.30	12.29
	(iv) बाहरी आस्ति-प्रबंधकों, अभिरक्षकों, ब्रोकर, आदि को अदा किया गया शुल्क	19.76	42.43
	कुल	**3,280.06**	**4,400.62**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य "बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।"

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

ए) बैंक नोट का निर्गम एवं सिक्कों का संचलन

बी) अंतिम ऋणदाता के कार्य करने सहित मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी करना।

सी) वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।

ई) विदेशी मुद्रा का प्रबंध कर्ता।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।

जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।

आई) राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।

1.3 आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाएगा और निर्गम विभाग की आस्तियाँ निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। आरबीआई अधिनियम, 1934 की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा उस समय संचलनगत बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 कन्वेंशन

वित्तीय विवरण, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं, सिवाय इसके कि जहां पुनर्मूल्यन और/या परिशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.2 राजस्व मान्यता

ए) आय और व्यय को बैंकों से लिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज को छोड़कर उपचय के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसका हिसाब तभी दिया जाता है जब वसूली की निश्चितता हो। शेयरों पर लाभांश आय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

बी) ड्राफ्ट देय खाते, भुगतान आदेश खाता, विविध जमा खाता- विविध-बीडी, प्रेषण निकासी खाता, बयाना राशि जमा खाता और सुरक्षा जमा खाते सहित कुछ ट्रांजिट खातों में तीन से अधिक स्पष्ट लगातार लेखांकन वर्षों के लिए बकाया और बकाया राशि की समीक्षा की जाती है

और आय के लिए वापस लिखा जाता है। दावे, यदि कोई हों, पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में आय के विपरीत अधिरोपित किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय शुक्रवार को समाप्त सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन, जैसा लागू हो, पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

डी) विदेशी मुद्राओं और सोने की बिक्री पर विनिमय लाभ/हानि को लागत निकालने के लिए भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

2.3 स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

सोने और विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएँ में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

ए) सोना

सोने (स्वर्ण जमा सहित) का पुनर्मूल्यन शुक्रवार को समाप्त प्रत्येक सप्ताह और महीने के अंतिम कारोबारी दिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) के अमेरिकी डॉलर में सोने की कीमत के नब्बे (90) प्रतिशत और मूल्यांकन दिनों में रुपया-अमेरिकी डॉलर बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यांकन लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में शामिल किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और संविदागत रूप में निर्धारित दरों वाली संविदाओं को छोड़कर) शुक्रवार को समाप्त कारोबार के अंतिम सप्ताह/माह के आखिरी कारोबारी दिवस को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से होने वाले लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है।

ट्रेजरी बिल (टी-बिल) से इतर विदेशी प्रतिभूतियां, वाणिज्यिक पत्र और कुछ 'परिपक्वता के लिए धारित' प्रतिभूतियों के अलावा (जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में निवेश और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यूके द्वारा जारी बॉन्ड जो मूल्य पर मूल्यांकित हैं) शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह और महीने के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार मार्क-टू-मार्केट होते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता - विदेशी प्रतिभूति' (आईआरए-एफएस) में दर्ज किए जाते हैं। आईआरए-एफ़एस में क्रेडिट शेष को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है। आईआरए-एफ़एस में वर्ष के अंत में डेबिट शेष, यदि कोई हो, आकस्मिकता निधि (सीएफ़) से वसूल किया जाता है और उसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस कर दिया जाता है।

विदेशी टी-बिल और वाणिज्यिक पत्रों को छूट/प्रीमियम के परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या छूट का दैनिक परिशोधन किया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को बही मूल्य के संबंध में मान्यता दी जाती है। विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर, आईआरए-एफएस में पड़ी बेची गई/रिडीम की गई प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन लाभ/हानि को आय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

सी) फॉरवर्ड / स्वैप अनुबंध

बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। जिसमें, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदाओं पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, तो बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा

संविदा मूल्यन खाता' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है । अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि की प्रतिप्रविष्टि कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है ।

एफसीवीए में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, बैलेंस शीट की तारीख पर, सीएफ से चार्ज किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि वायदा अनुबंधों के मूल्यांकन पर क्रमशः निवल अप्राप्त लाभ और हानियों का प्रतिनिधित्व करती है।

बाजार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप, जो रिपो के रूप में होती है, भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है । अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है । इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जबकि एफसीवीए 'पुनर्मूल्यांकन खातों' का हिस्सा है, पीएफसीवीए 'अन्य देनदारियों' का हिस्सा है और आरएफसीए और एसएए 'अन्य परिसंपत्तियों' का हिस्सा हैं।

डी) पुनर्खरीद लेनदेन

रिज़र्व बैंक, रिज़र्व प्रबंधन परिचालन के भाग के रूप में विदेशी पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो और रिवर्स रेपो) में भाग लेता है। रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार के रूप में माना जाता है और 'जमा' के तहत दिखाया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार के रूप में माना जाता है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है।

ई) डेरिवेटिव में लेनदेन

रिज़र्व प्रबंधन परिचालन के भाग के रूप में किए गए ब्याज दर फ्यूचर्स, मुद्रा फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप और एक दिवसीय सूचकांकित स्वैप जैसे डेरिवेटिव में लेन-देन को आवधिक रूप से बाजार भाव पर मार्क्ड-टु-मार्केट रेट दर्शाया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

एफ़) प्रतिभूति ऋण संबंधी लेनदेन

रिज़र्व बैंक, रिज़र्व प्रबंधन परिचालन के तहत किए गए प्रतिभूति ऋण लेनदेन में भाग लेता है। उधार दी गई प्रतिभूतियां, रिज़र्व बैंक के निवेश का एक हिस्सा होती हैं और परिशोधित की जाती हैं, ब्याज अर्जित करती हैं और बाजार भाव पर दर्शाया जाता है।

2.4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में लेनदेन

बैंक द्वारा अपने हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में किए गए ईटीसीडी लेनदेन दैनिक आधार पर बाजार भाव पर दर्शाये जाते हैं और परिणामी लाभ / हानि आय खाते में दर्ज की जाती है।

2.5 घरेलू निवेश

ए) रुपये की प्रतिभूतियां और तेल बॉन्ड, टी-बिलों तथा (डी) में उल्लिखित को छोड़कर, शुक्रवार को समाप्त प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन को बाजार भाव पर दर्ज़ किए जाते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूतियां' (आईआरए-आरएस) में शामिल किया गया है। आईआरए-आरएस में क्रेडिट बैलेंस को अगले लेखा वर्ष में ले जाया जाता है। आईआरए-आरएस में वर्ष के अंत में डेबिट

बैलेंस, यदि कोई हो, को सीएफ़ से चार्ज किया जाता है और इसे अगले अकाउंटिंग वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। रुपये की प्रतिभूतियों/तेल बॉन्ड की बिक्री/मोचन पर, रुपये की प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन लाभ/हानि और आईआरए-आरएस में पड़े बेचे गए/रिडीम किए गए तेल बांड आय खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉन्ड भी दैनिक परिशोधन के अधीन हैं।

बी) ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सी) अनुषंगियों के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

डी) विभिन्न स्टाफ फंडों (जैसे ग्रेच्युटी और सुपरएनुएशन, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, मेडिकल असिस्टेंस फंड) और डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए फंड) के लिए निर्धारित तेल बांड और रुपया प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता के लिए धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधन लागत पर धारित किया जाता है।

ई) घरेलू निवेश में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिपो/रिवर्स रिपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के तहत रेपो लेनदेन को उधार के रूप में माना जाता है और तदनुसार 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेन को जमा के रूप में माना जाता है और 'जमा-अन्य' के तहत दिखाया जाता है।

2.7 अचल संपत्ति

ए) अचल संपत्तियों को कला और पेंटिंग और फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर लागत कम मूल्यह्रास पर बताया गया है जो लागत पर रखी गई है।

बी) ₹1 लाख तक की अचल संपत्ति (लैपटॉप/ई-बुक रीडर जैसी आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में आय के लिए शुल्क लिया जाता है। आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्ति, जैसे लैपटॉप, आदि, जिनकी कीमत ₹10,000 से अधिक है, को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर लागू दर पर की जाती है।

सी) ₹1 लाख रुपये या उससे अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की व्यक्तिगत वस्तुओं को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

डी) वर्ष के दौरान (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) अर्जित और पूंजीकृत भूमि और भवनों के अलावा अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना पूंजीकरण के महीने से मासिक आनुपातिक आधार पर की जाएगी और छमाही आधार पर लागू आस्तियों के उपयोगी जीवन काल के आधार पर निर्धारित दरों पर।

ई) निम्नलिखित अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित तरीके से एक संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है:

आस्ति श्रेणी	उपयोगी जीवन (मूल्यह्रास **की दर**)
1	2
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, स्थावर संपदा, सीवीपीएस / एसबीएस मशीनें, *आदि*।	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो-प्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर /आई-पैड इत्यादि	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

एफ) मासिक यथानुपात आधार पर अचल संपत्तियों की छमाही के अंत में शेष राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। भूमि और भवन के अलावा अन्य संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के मामले में, ऐसी संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के महीने सहित मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

(जी) बाद के खर्च पर मूल्यह्रास:

i. एक मौजूदा अचल संपत्ति पर किए गए बाद के व्यय को खाता-बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रास नहीं किया गया है, मूल संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है ;

ii. मौजूदा अचल संपत्ति के आधुनिकीकरण/परिवर्धन/ ओवरहालिंग पर किए गए बाद के खर्च, जिनका पहले से ही खाता-बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है, जिसमें व्यय किया जाता है।

एच) भूमि एवं भवन : भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियाँ माना जाता है और इसीलिए इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।

iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

i. सभी भवनों का जीवन-काल तीस वर्ष माना जाता है और इन पर मूल्यह्रास तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।

ii. भवनों को हुई क्षति: क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए) ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा : ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यह्रास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

बी) जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/ जिन्हें खाली कर दिया गया है : ऐसे भवनों को बेच कर प्राप्त मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा स्क्रैप मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) को दर्ज किया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने वाले मूल्य (निवल बिक्री मूल्य) / स्क्रैप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी लाभ

ए) बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए मासिक आधार पर एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में आय खाते में प्रभारित किया जाता है।

बी) दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के कारण अन्य देयताएं 'प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट' पद्धति के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.7 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.7.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹5 करोड़ थी । रिज़र्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹5 करोड़ बनी हुई है ।

XII.7.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹5 करोड़ की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹6,495 करोड़ की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹6,500 करोड़ हो गई । उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'पुनर्मूल्यन खाता' की मद का एक हिस्सा है ।

XII.7.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं ।

ए) *राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46सी के अनुसार ₹10 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था । इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है । वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹31 करोड़ थी ।

बी) *राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी । ₹50 करोड़ की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष सिर्फ ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹205 करोड़ की शेष राशि थी ।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रति वर्ष ₹1 करोड़ की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.7.4 जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमा राशि, डीईए निधि, रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि, पीआईडीएफ़ आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं । कुल जमाराशि में 16.24 प्रतिशत

की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2021 के ₹ 14,91,537.70 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को ₹17,33,787.56 करोड़ हो गयी।

ए) *जमाराशियां - सरकार*

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 31 मार्च 2021 के ₹5,000.15 करोड़ और ₹42.48 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेष राशियां क्रमश: ₹5000.04 करोड़ और ₹42.45 करोड़ थीं।

बी) *जमाराशियां - बैंक*

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं । बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 25.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2021 के ₹ 6,98,866.95 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को ₹8,76,726.16 करोड़ हो गयी । इस शीर्ष में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से सीआरआर की बहाली और बैंकों द्वारा अतिरिक्त सीआरआर धारिता में वृद्धि के कारण हुई है, बैंकों को 31 मार्च, 2021 को एनडीटीएल के 3.5 प्रतिशत की सीआरआर आवश्यकता की तुलना में मार्च 2022 के अंत में एनडीटीएल के 4 प्रतिशत सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता थी।

सी. *जमाराशियां – भारत के बाहर वित्तीय संस्थाएं*

वर्ष के दौरान रिपो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के कारण इस शीर्ष में धारित जमाराशियां 31 मार्च 2021 को ₹9,158.95 की तुलना में 31 मार्च 2022 को ₹ 75,727.98 करोड़ थीं।

डी) *जमाराशियां - अन्य*

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, डीईए निधि की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, एमएएफ़, पीआईडीएफ़, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां आदि शामिल होती हैं। 'जमाराशियां-अन्य' जो कि 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹7,78,469.17 करोड़ थी, इसमें 0.28 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2022 को ₹7,76,290.93 करोड़ हो गयी।

XII.7.5 जोखिम प्रावधान

रिज़र्व बैंक के दो जोखिम प्रावधान है अर्थात, आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) । इन निधियों के लिए किए गए प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार किए गए हैं। उनके विवरण निम्नानुसार हैं :

ए) *आकस्मिक निधि (सीएफ)*

इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा रिज़र्व बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम शामिल हैं। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूति (आईआरए-एफएस) के नामे शेष के कारण सीएफ पर ₹94,249.54 करोड़ का प्रभार लगाया गया। अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर सीएफ का प्रभार प्रत्यावर्तित किया गया। इसके अलावा, सीएफ के लिए ₹1,14,567.01 करोड़ मुहैया कराया गया। तदनुसार,

31 मार्च 2021 के ₹2,84,542.12 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को सीएफ शेष राशि ₹3,10,986.94 करोड़ थी।

बी. आस्ति विकास निधि (एडीएफ)

आस्ति विकास निधि 1997-98 में बनाई गई और उसकी शेष राशि उस तारीख तक विशेष रूप से अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाती है। रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) में नए निवेश के लिए एडीएफ के लिए ₹100 करोड़ की राशि प्रदान की गई। उपर्युक्त के आधार पर, 31 मार्च 2022 को एडीएफ में शेष राशि ₹22,974.68 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2021 को यह राशि ₹22,874.68 करोड़ थी।

सारणी XII.2: जोखिम प्रावधानों में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

स्थिति	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि	कुल	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएफ
1	2	3	4=(2+3)	5
30 जून 2018	2,32,107.76	22,811.08	2,54,918.84	7.05
30 जून 2019	1,96,344.35@	22,874.68@@	2,19,219.03	5.34
30 जून 2020	2,64,033.94$	22,874.68	2,86,908.62	5.38
31 मार्च 2021	2,84,542.12*	22,874.68	3,07,416.80	5.39
31 मार्च 2022	3,10,986.94^	22,974.68^^	3,33,961.62	5.39

@: 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, सीएफ में आयी गिरावट ₹52,637 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन किए जाने के कारण है।

@@ : एडीएफ में वृद्धि एनसीएफ़ई और आईएफ़टीएएस में क्रमशः ₹30 करोड़ और ₹33.60 करोड़ के निवेश के प्रावधान के कारण है।

$: 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹73,615 करोड़ के प्रावधान और एफसीवीए के ₹5,925.41 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

*: 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹20,710.12 करोड़ के प्रावधान और एफसीवीए के ₹6,127.35 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

^: सीएफ में वृद्धि, 31 मार्च 2022 तक ₹1,14,567.01 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस में ₹94,249.54 करोड़ की राशि के नामे शेष का निवल प्रभाव है।

^^: आरबीआईएच में ₹100 करोड़ के निवेश का प्रावधान करने के कारण एडीएफ में वृद्धि हुई है।

XII.7.6 पुनर्मूल्यन खाते

अप्राप्त बाजार मूल्यों लाभ/हानि को पुनर्मूल्यन शीर्ष अर्थात मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) में अंकित किया जाता है। उनके विवरण निम्नानुसार हैं:

ए) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

रिज़र्व बैंक के समक्ष आए बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसीलिए, सीजीआरए में निवल शेष, आस्ति आधार के आकार, इसके मूल्यन और विनिमय दरों तथा स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के साथ परिवर्तित होता रहता है। सीजीआरए, विनिमय दर/ स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध बफर प्रदान करता है। अगर रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में महंगा होता है, या स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है, तो इस पर दबाव आ सकता है। यदि विनिमय घाटे को पूरा करने के लिए सीजीआरए पर्याप्त नहीं होता, तो इसकी भरपाई आकस्मिकता निधि से की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, सीजीआरए शेष में 31 मार्च 2021 के ₹8,58,877.53 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2022 को ₹9,13,389.29 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण रुपये का मूल्यह्रास तथा स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी है।

बी) निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफ़एस)

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन शुक्रवार को समाप्त प्रत्येक सप्ताह और प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों (एमटीएम) के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-एफएस में अंतरित किया जाता है। आईआरए-एफएस की शेष राशि 31 मार्च 2021 की ₹8,853.67 करोड़ से घटकर 31 मार्च

2022 को ₹(-)94,249.54 करोड़ हो गयी जिसका कारण सभी प्रमुख बाजारों के लिए परिपक्वताओं में प्रतिफल की वृद्धि है। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-एफएस में ₹94,249.54 करोड़ का डेबिट बैलेंस 31 मार्च 2022 के सीएफ के विरुद्ध समायोजित किया गया, जिसे अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस को प्रत्यावर्तित कर दिया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2022 को आईआरए-एफएस में शेष राशि शून्य थी।

सी) निवेश पुनर्मूल्यन खाता – रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियां और ऑयल बॉन्डों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत यथा उल्लिखित अपवाद सहित) का मूल्यन शुक्रवार को समाप्त प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस और प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश आईआरए-आरएस में दर्ज किया जाता है । आईआरए-आरएस में शेष राशि 31 मार्च 2021 के ₹56,723.79 करोड़ से गिरकर 31 मार्च 2022 को ₹18,577.81 करोड़ हो गयी क्योंकि – (ए) प्रतिफल वक्र में प्रतिफल अधिक होने के कारण मार्क-टु-मार्केट हानि और (बी) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री होने पर अप्राप्त लाभ को प्राप्त लाभ में दर्ज़ करने के कारण निवल प्रभाव पड़ा।

डी) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए)

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन करने पर निवल ₹2,576.90 करोड़ का अप्राप्त लाभ हुआ जिसे एफसीवीए में नामे डालते हुए इसकी प्रतिप्रविष्टि पीएफसीवीए में जमा करके की गयी और इसकी तुलना में, वर्ष 2020-21 में ₹6,127.35 करोड़ की निवल अप्राप्त हानि को, पीएफसीएवीए में प्रतिप्रविष्टि के साथ, एफसीएवीए के नामे डाला गया और एफसीवीए के उक्त डेबिट बैलेंस को, तदनुसार, वर्ष 2020-21 में सीएफ के साथ समायोजित किया गया।

XII.7.7 अन्य देयताएं

'अन्य देयताएं' 31 मार्च 2021 को ₹1,50,657.97 करोड़ से 49.85 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2022 को ₹75,547.53 करोड़ रह गई, जो मुख्य रूप से भारत सरकार को देय अधिशेष में कमी के कारण है।

i. वायदा संविदा मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) हेतु प्रावधान

31 मार्च 2022 को इस खाते में शेष राशि शून्य थी, जबकि 31 मार्च 2021 को यह राशि ₹6,127.35 करोड़ थी।

पिछले पाँच वर्षों के लिए पुनर्मुल्यन खाते तथा वायदा संविदा मूल्यन खाते (पीएफसीवीए) में शेष राशि की स्थिति सारणी XII.3 में दी गई है ।

सारणी XII.3: सीजीआरए, आईआरए-एफएस, आईआरए-आरएस, एफसीवीए और पीएफसीवीए में शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

स्थिति	सीजीआरए	आईआरए-एफएस	आईआरए–आरएस	एफसीवीए	पीएफसीवीए
1	2	3	4	5	6
30 जून 2018	6,91,640.97	0.00	13,285.22	3,261.92	0.00
30 जून 2019	6,64,479.74	15,734.96	49,476.26	1,303.96	0.00
30 जून 2020	9,77,141.23	53,833.99	93,415.50	0.00	5,925.41
31 मार्च 2021	8,58,877.53	8,853.67	56,723.79	0.00	6,127.35
31 मार्च 2022	9,13,389.29	0.00	18,577.81	2,576.90	0.00

ii. देय राशि के लिए किए गए प्रावधान

इस मद के तहत, किए गए खर्च जिसकी अदायगी न की गयी हो और अग्रिम के रूप में प्राप्त/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्षांत में किए गए प्रावधानों को दर्शाया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च 2021 के ₹3,240.73 करोड़ से 1.25 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 में ₹3,281.08 करोड़ हो गई।

iii. केंद्र सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद रिज़र्व बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अतिकर का भुगतान नहीं करना है। तदनुसार, व्यय समायोजित करने के बाद सीएफ और एडीएफ के लिए प्रावधान तथा चार सांविधिक निधियों को ₹4 करोड़ के अंशदान के बाद वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹30,307.45 करोड़ है (इसमें पिछले वर्ष के समान ₹493.92 करोड़ शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर भारत सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)।

iv. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्टों (डीडी) और भुगतान आदेशों (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद के अतर्गत शेष बिना दावे के डीडी/पीओ को दर्शाता है। इस मद के अंतर्गत बकाया राशि 31 मार्च 2021 की ₹4.36 करोड़ की स्थिति से घटकर 31 मार्च 2022 को ₹0.14 करोड़ हो गयी।

v. विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी के नकदीकरण के कारण देय राशियां, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान *आदि* मदें शामिल हैं। इस मद के तहत शेष राशि 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹13,665.86 करोड़ थी जो घटकर 31 मार्च 2022 को ₹13,086.07 करोड़ हो गयी।

XII.7.8 निर्गम विभाग की देयताएं-जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताओं से संचलनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। 'जारी किए गए नोटों' की संख्या 31 मार्च 2021 को ₹28,26,862.67 करोड़ थी जो 31 मार्च 2022 को 9.86 प्रतिशत बढ़कर ₹ 31,05,720.56 करोड़ हो गई। पहले ही, 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य को दर्शाने वाली ₹10,719.37 करोड़ की राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया था, को 'अन्य देयताएं' में अंतरित कर दिया गया। दिनांक 12 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान पात्र नोट प्रस्तुतकर्ताओं को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय मूल्य के रूप में ₹4.30 करोड़ की राशि की अदायगी की।

XII.8 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.8.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्का और छोटा सिक्का

इस शीर्ष में रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग की तिजोरियों में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5, 10 और 20 के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों

के शेष को दर्शाया गया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹17.13 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2021 को यह शेष राशि ₹12.02 करोड़ थी।

ii) स्वर्ण – बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक के पास 31 मार्च 2021 के 695.31 मेट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2022 को 760.42 मेट्रिक टन स्वर्ण है। यह वृद्धि वर्ष के दौरान 65.11 मेट्रिक टन अतिरिक्त स्वर्ण शामिल करने के कारण हुई है।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार उक्त 760.42 मेट्रिक टन में से 295.82 मेट्रिक टन -31 मार्च 2021 को 292.30 मेट्रिक टन की तुलना में - जारी किए गए नोटों के समर्थन में धारित किया गया है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया गया है। 31 मार्च 2021 के शेष 403.01 मेट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2022 को धारित 464.60 मेट्रिक टन स्वर्ण बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाता है (सारणी XII.4)।

बैंकिंग विभाग की संपत्ति के रूप में रखे गए स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) का मूल्य 31 मार्च 2021 को ₹1,43,582.87 करोड़ से 37.11 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹1,96,864.38 करोड़ हो गया। यह वृद्धि, 61.59 मीट्रिक टन अतिरिक्त स्वर्ण के और स्वर्ण की कीमत में वृद्धि और अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया के मूल्यह्रास के कारण हुई है।

सारणी XII.4: स्वर्ण की वास्तविक धारिता

	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
	मात्रा मीट्रिक टन में	मात्रा मीट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोटों के समर्थन हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.30	295.82
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	403.01	464.60
कुल	**695.31**	**760.42**

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है, किन्तु वर्ष 2021-22 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरुप, 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की बहियों में में इस प्रकार की कोई आस्ति नहीं है।

iv) निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियाँ (iii) विदेशों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियाँ (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं।

एफ़सीए को तुलन-पत्र में दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है : (ए) 'निवेश-विदेशी -बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है तथा (बी) 'निवेश-विदेशी-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में दर्शाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार निवेश-विदेशी-आईडी वे पात्र एफसीए हैं जिनका उपयोग जारी नोटों के समर्थन के लिए किया जाता है। बचा हुआ एफसीए 'निवेश-विदेश-बीडी' का हिस्सा होता है।

पिछले दो वर्षों के एफसीए की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

v) निवेश – घरेलू - बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेशों में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, राज्य विकास ऋण, खजाना बिल और विशेष ऑयल बॉण्ड शामिल हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित घरेलू प्रतिभूतियां, जो कि 31 मार्च 2021 को ₹13,33,173.90 करोड़ थी, वे 11.67 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 को

सारणी XII.5: विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च की स्थिति में	
	2021	2022
1	2	3
I निवेश-विदेश-बीडी*	12,29,940.41	11,41,127.75
II निवेश-विदेश-आईडी	27,21,979.14	29,79,863.29
कुल	**39,51,919.55**	**41,20,991.04**

*: इसमें 31 मार्च 2021 के ₹11,156.96 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹11,286.57 करोड़ पर मूल्यांकित भारत सरकार से अंतरित बीआईएस और विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) तथा एसडीआर के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणियां:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। 01 जनवरी 2021 से एनएबी के तहत भारत की एसडीआर प्रतिबद्धता 8.88 बिलियन (₹93,035.29 करोड़/ यूएस$ 12.29 बिलियन) है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, एनएबी के तहत एसडीआर 0.09 बिलियन (₹928.33 करोड़/ यूएस$ 0.12 बिलियन) राशि का निवेश किया गया है।
2. आरबीआई, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉन्डों में राशि, जिसका कुल 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹37,861.90 करोड़) से अधिक नहीं होगा, के निवेश के लिए सहमत हो गया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बॉन्डों में यूएस$ 1.44 बिलियन (₹10,904.23 करोड़) का निवेश किया है।
3. वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में एसडीआर धारिताओं का चरणबद्ध तरीके से अंतरण किया जाएगा। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, रिज़र्व बैंक के पास 1.05 बिलियन एसडीआर (₹10,975 करोड़/ यूए$ 1.45 बिलियन) की धारिता थी।
4. रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के तहत सार्क सदस्य देशों के क्षेत्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये दोनों में मिलाकर यूएस $2 बिलियन तक की राशि की पेशकश करने पर सहमति दर्शाई है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, भूटान और श्रीलंका के साथ क्रमशः यूएस$ 0.20 बिलियन (₹1,517.87 करोड़) और यूएस$ 0.40 बिलियन (₹3,028.96 करोड़) स्वैप बकाया है।
5. 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, पुनर्खरीद और आईआरएफ लेनदेन में संपार्श्विक और मार्जिन के रूप में तैनात विदेशी प्रतिभूतियों का सांकेतिक मूल्य ₹74,830.06 करोड़ रुपये/ यूएस$ 9.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन के तहत प्राप्त सांकेतिक मूल्य ₹77,984.34 करोड़ रुपये/ यूएस$10.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
6. प्रतिभूति ऋण व्यवस्था के तहत उधार दी गई विदेशी प्रतिभूतियों का सांकेतिक मूल्य ₹42.03 करोड़/ यूएस$ 0.006 बिलियन था।

₹14,88,815.96 करोड़ हो गई। यह वृद्धि ₹2,13,976 करोड़ (अंकित मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियों की निवल खरीद के माध्यम से किए गए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के कारण हुई थी।

निवेश – घरेलू - बीडी के एक भाग को पैरा 2.5 (डी) में किए गए वर्णन के अनुसार विविध स्टाफ निधियों, डीईए निधि और पीआईडीएफ के लिए भी रखा गया है। 31 मार्च 2022 के अनुसार ₹85,178 करोड़ (अंकित मूल्य) को उपर्युक्त निधियों के लिए रखा गया है।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) तथा ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में केंद्र सरकार को प्रदान किए जाते हैं और डब्ल्यूएमए, ओडी तथा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के रूप में राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में डब्ल्यूएमए सीमाएं भारत सरकार से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति/ समूह की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के पास कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं थे चूंकि केंद्र सरकार दोनों दिन अधिशेष में थी, जबकि राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम 31 मार्च 2021 के ₹3,382.79 करोड़ की तुलना में 50.73 प्रतिशत कम होकर 31 मार्च 2022 को ₹1,666.56 करोड़ हो गए।

बी) *वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम*

- *वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम* : इसमें मुख्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंकों के लिए विशेष चलनिधि सुविधा के अंतर्गत रिपो के प्रति बकाया राशि इनमें शामिल हैं। बकाया राशि 31 मार्च 2021 की ₹90,252.18 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2022 को ₹94,365.75 करोड़ हो गई, जिसका कारण वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा, विशेष दीर्घावधि रिपो परिचालनों (एसएलटीआरओ) और ऑन टैप लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ), के अंतर्गत ली गई सुविधा के कारण निधियों में बढ़ोतरी थी।
- *नाबार्ड को ऋण और अग्रिम:* भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4ई) के तहत रिज़र्व बैंक नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। इस शीर्ष के तहत शेष राशि 31 मार्च 2021 को ₹25,425.56 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2022 तक ₹23,010.10 करोड़ हो गई।
- *अन्य को ऋण और अग्रिम:* इस मद के तहत शेष, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम तथा प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता को दर्शाता है। इस शीर्ष के तहत शेष राशि, 31 मार्च 2021 को ₹6,905.32 करोड़ से 110.08 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹14,506.94 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण सिडबी को दिए गए ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि है।

सी) भारत के बाहर के वित्तीय संस्थानों को ऋण और अग्रिम

वर्ष के दौरान रिवर्स रेपो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के कारण इस शीर्ष के तहत शेष राशि 31 मार्च 2021 को ₹9,153.06 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹75,243.50 करोड़ हो गई।

vii) अनुषंगियों/सहयोगियों में निवेश

अपनी अनुषंगियों/सहयोगी संस्थानों में रिज़र्व बैंक की कुल हिस्सेदारी 31 मार्च, 2021 को ₹1,963.60 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2022 तक ₹2,063.60 करोड़ हो गई क्योंकि रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) में ₹100 करोड़ की राशि का निवेश किया था। 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अनुषंगियों/सहयोगी संस्थाओं में निवेश की तुलनात्मक स्थिति सारणी XII.6 में दी गई है।

viii) अन्य आस्तियां

'अन्य आस्तियों' में अचल संपत्तियां (मूल्यह्रास का शुद्ध), अर्जित आय, स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट (आरएफसीए) का पुनर्मूल्यांकन और विविध संपत्तियां शामिल हैं। विविध संपत्तियों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम, लंबित परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि, भुगतान की गई सुरक्षा जमा *आदि शामिल हैं*। 'अन्य आस्तियों' के तहत बकाया राशि 31 मार्च, 2021 को ₹37,014.75 करोड़ की तुलना में 26.71 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2022 को ₹46,900.04 करोड़ हो गई।

सारणी XII.6: 2021-22 में अनुषंगी/ सहायक संस्थाओं में धारिताएं

(₹ करोड़)

अनुषंगी/ सहायक संस्थाएं		2020-21	2021-22	31 मार्च 2022 तक प्रतिशत धारिता
1		2	3	4
ए)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00	100
बी)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00	100
सी)	भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा) लि. (आरईबीआईटी)	50.00	50.00	100
डी)	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)	30.00	30.00	30
ई)	भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस)	33.60	33.60	100
एफ)	रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच)	0.00	100.00	100
कुल		**1,963.60**	**2,063.60**	

ए) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

31 मार्च, 2022 के साथ-साथ 31 मार्च, 2021 को, एसएए में शेष राशि शून्य थी क्योंकि स्वैप के कोई बकाया अनुबंध नहीं थे जो ऑफ मार्केट रेट पर रिपो की प्रकृति के थे।

बी) वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

31 मार्च, 2022 को आरएफसीए में शेष राशि ₹ 2,576.90 करोड़ थी, जो 31 मार्च, 2021 को शून्य के मुकाबले बकाया वायदा अनुबंधों पर निवल मार्क्ड-टू-मार्केट लाभ का प्रतिनिधित्व करती है।

XII.8.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में धारित निर्गम विभाग की पात्र संपत्ति में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपये के सिक्के, रुपये की प्रतिभूतियां और विनिमय के घरेलू बिल शामिल हैं। रिज़र्व बैंक के पास 760.42 मीट्रिक टन सोना है, जिसमें से 295.82 मीट्रिक टन 31 मार्च, 2022 तक जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखा गया है (सारणी XII.4)। निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखे गए सोने का मूल्य 31 मार्च, 2021 को ₹ 1,04,140.13 करोड़ से 20.37 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2022 तक ₹ 1,25,348.98 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान सोने के मूल्य में यह वृद्धि है 3.52 मीट्रिक टन के अतिरिक्त और सोने की कीमत में वृद्धि और अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के कारण भी थी। जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, इसके समर्थन के रूप में धारित निवेश-विदेशी-आईडी 31 मार्च, 2021 को ₹27,21,979.14 करोड़ से 9.47 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2022 को ₹29,79,863.29 करोड़ हो गया। निर्गम विभाग द्वारा रखे गए रुपये के सिक्के 31 मार्च, 2021 को ₹743.40 करोड़ से 31.63 प्रतिशत घटकर 31 मार्च, 2022 तक ₹508.29 करोड़ हो गए।

विदेशी मुद्रा भंडार

XII.9 विदेशी मुद्रा भंडार (एफ़ईआर) में एफ़सीए, गोल्ड, एसडीआर होल्डिंग्स और रिजर्व ट्रेंच पोजिशन (आरटीपी) शामिल हैं। भारत सरकार से प्राप्त एसडीआर होल्डिंग्स रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट का हिस्सा हैं और इसे 'निवेश-विदेशी-बीडी' के तहत शामिल किया गया है। भारत सरकार के पास शेष एसडीआर होल्डिंग्स और आरटीपी, जो विदेशी मुद्रा में आईएमएफ में भारत के कोटा योगदान का प्रतिनिधित्व करता है, रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है। 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2022 को भारतीय रुपये में एफईआर की स्थिति और अमेरिकी डॉलर, जो हमारे एफईआर के लिए संख्यात्मक मुद्रा है, सारणी XII.7 (ए) और (बी) में प्रस्तुत की गई है।

सारणी XII.7(ए): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (रुपया)

(₹ करोड़)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	39,24,167.84^	40,94,564.98#	1,70,397.14	4.34
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	2,47,723.00@	3,22,213.36*	74,490.36	30.07
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	10,863.73	1,43,051.88	1,32,188.15	1,216.78
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	36,198.01	38,988.28	2,790.27	7.71
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफईआर)	**42,18,952.58**	**45,98,818.50**	**3,79,865.92**	**9.00**

^ : निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिताएं जो ₹10,847.81 करोड़ के समतुल्य हैं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹13,621.79 करोड़ का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध करायी गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत ₹1,454.19 करोड़ भूटान को तथा मालदीव को ₹1,827.92 करोड़ का उधार।

: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध ₹10,975 करोड़ की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में ₹10,904.23 करोड़ का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को दिए गए ₹1,517.87 करोड़ उधार और श्रीलंका को दिए गए ₹3028.96 करोड़ उधार।

@: इसमें से ₹1,04,140.13 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,43,582.87 करोड़ कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

*: इसमें से ₹1,25,348.98 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,96,864.38 करोड़ कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7(बी): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (यूएसडी)

(यूएस$ बिलियन)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	536.69*	540.72**	4.03	0.75
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	33.88	42.55	8.67	25.59
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1.49	18.89	17.40	1,167.79
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	4.92	5.14	0.22	4.47
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफसीए)	**576.98**	**607.30**	**30.32**	**5.25**

** : निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक के पास की यूएस$ 1.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में यूएस$ 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को भारतीय रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य यूएस$ 0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार तथा मालदीव को भारतीय रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस$0.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।*

***: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की यूएस$ 1.45 बिलियन अमरेकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में यूएस$ 1.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को भारतीय रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य यूएस$ 0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार और मालदीव को भारतीय रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस$ 0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।*

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XII.10 रिजर्व बैंक की आय के घटक 'ब्याज' और 'अन्य आय' हैं जिनमें (i) छूट (ii) विनिमय (iii) कमीशन (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो हस्तांतरण पर मूल्यह्रास (vii) किराए की वसूली (viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि और (ix) ऐसा प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं। आय की कुछ मदों जैसे एलएएफ रिपो पर ब्याज, विदेशी सुरक्षा में रिपो और विदेशी मुद्रा लेनदेन से विनिमय लाभ/हानि की सूचना निवल आधार पर दी जाती है।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ करोड़)

मद			घट-बढ़	
	2020-21	2021-22	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	39,51,919.55	41,20,991.04	1,69,071.49	4.28
औसत एफसीए	38,49,940.15	42,42,514.17	3,92,574.02	10.20
एफसीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/ हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/ हानि)	80,715.82	89,582.36	8,866.54	10.98
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	2.10	2.11	0.01	0.48

विदेशी स्रोतों से आय

XII.11 विदेशी स्रोतों से आय 2020-21 में ₹80,715.82 करोड़ से 10.98 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹89,582.36 करोड़ हो गई। 2020-21 में 2.10 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में विदेशी मुद्रा आस्तियों पर आय की दर 2.11 प्रतिशत थी (सारणी XII.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.12 घरेलू स्रोतों से निवल आय 34.20 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 52,556.93 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 70,529.77 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण निवल प्रभाव था: (ए) रुपया प्रतिभूतियों की होल्डिंग पर ब्याज आय में वृद्धि (तेल बांड सहित); और (बी) बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि के अवशोषण के कारण एलएएफ/एमएसएफ के अंतर्गत ब्याज के निवल व्यय में वृद्धि (सारणी XII.9)।

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ करोड़)

मद	2020-21	2021-22	घट-बढ़ समग्र	घट-बढ़ प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III+IV)	**52,556.93**	**70,529.77**	**17,972.84**	**34.20**
I. रुपये प्रतिभूतियों और बट्टा लिखतों से अर्जन				
i) रुपये प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज (तेल बॉन्ड सहित)	59,824.79	96,396.42	36,571.63	61.13
ii) रुपये प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ	5,193.94	6,028.19	834.25	16.06
iii) रुपये प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-8.12	-20.07	-11.95	-147.17
iv) रुपये प्रतिभूतियों और तेल बॉण्ड पर प्रीमियम/ बट्टा का परिशोधन	846.48	-1,717.97	-2,564.45	-302.95
v) बट्टा	964.16	403.76	-560.40	-58.12
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	***66,821.25***	***1,01,090.33***	***34,269.08***	***51.28***
II. एलएएफ/ एमएसएफ पर ब्याज				
i) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	-17,957.86	-35,501.29	-17,543.43	-97.69
ii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	12.38	37.63	25.25	203.96
उप जोड़ (i+ii)	**-17,945.48**	**-35,463.66**	**-17,518.18**	**-97.62**
III. अन्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	264.04	296.34	32.30	12.23
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1,400.63	1,149.57	-251.06	-17.92
iii) कर्मचारी	44.33	55.91	11.58	26.12
उप जोड़ (i+ii+iii)	**1,709.00**	**1,501.82**	**-207.18**	**-12.12**
IV. अन्य अर्जन				
i) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कमीशन	2,073.97	3,058.09	984.12	47.45
iii) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ/ हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय	-101.81	343.19	445.00	437.09
उप जोड़ (i+ii+iii)	**1,972.16**	**3,401.28**	**1,429.12**	**72.46**

XII.13 *रुपये की प्रतिभूतियों (तेल बॉन्ड सहित) की होल्डिंग पर ब्याज* 2020-21 में ₹ 59,824.79 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 96,396.42 करोड़ हो गया, जो 2021-22 में रुपये की प्रतिभूतियों की उच्च होल्डिंग और 2020-21 के लिए नौ महीने की अवधि की तुलना में महीने चालू लेखा वर्ष बारह महीने होने के कारण था।

XII.14 *चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परि*चालन से निवल ब्याज आय 2020-21 में ₹(-) 17,945.48 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹(-) 35,463.66 करोड़ हो गई, जो बैंकिंग प्रणाली में उच्च अधिशेष चलनिधि के कारण थी और जिसके कारण एलएएफ/एमएसएफ के तहत उच्च शुद्ध ब्याज व्यय हुआ और चालू लेखा वर्ष 2020-21 के नौ महीने की अवधि की तुलना में बारह महीने का है।

XII.15 रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ 2020-21 में 5,193.94 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 6,028.19 करोड़ रुपये हो गया, जो मुख्य रूप से 2021-22 में 64,085 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) के बिक्री परिचालन और 2021-22 में रिजर्व बैंक के साथ भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियों के रूपांतरण के कारण 2021-22 में 1,19,701 करोड़ रुपये हो गया।

XII.16 *रुपया प्रतिभूतियों (तेल बांड सहित) पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन:* रिजर्व बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों पर प्रीमियम/छूट, अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधित की जाती है। रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/छूट से निवल आय 2020-21 में ₹ 846.48 करोड़ से घट कर *2021-* 22 में ₹(-)1, 717.97 करोड़ हो गई।

XII.17 *छूट:* रियायती लिखतों (टी-बिल) को रखने से होने वाली आय 2020-21 में ₹964.16 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹403.76 करोड़ हो गई।

XII.18 *ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज*

ए) *केंद्र और राज्य सरकारें:* केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज आय 2020-21 में 264.04 करोड़ रुपये से 12.23 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 296.34 करोड़ रुपये हो गई। कुल में से, डब्ल्यूएमए / ओडी के कारण केंद्र सरकार से प्राप्त ब्याज आय 2020-21 में 2.28 करोड़ रुपये से घटकर 2021-22 में शून्य हो गई और डब्ल्यूएमए / ओडी / एसडीएफ के कारण राज्य सरकारों से प्राप्त ब्याज आय 2020-21 में 261.76 करोड़ रुपये से 2020-21 में 261.76 करोड़ रुपये से 2021-22 में 296.34 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 2020-21 के लिए नौ महीने की अवधि की तुलना में चालू लेखा वर्ष का बारह महीने का होने के कारण 2021-22 में राज्य सरकारों द्वारा एसडीएफ /डब्ल्यूएमए / ओडी सुविधा के उच्च उपयोग के कारण निवल आय में वृद्धि हुई थी।

बी) बैंक और वित्तीय संस्थान : बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज 2020-21 में ₹ 1,400.63 करोड़ से 17.92 प्रतिशत घटकर 2021-22 में ₹ 1,149.57 करोड़ हो गया।

सी) कर्मचारी : कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम पर ब्याज 2020-21 में 44.33 करोड़ रुपये से 26.12 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 55.91 करोड़ रुपये हो गया।

XII.19 *आयोग:* आयोग की आय 2020-21 में ₹ 2,073.97 करोड़ से 47.45 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹3,058.09 करोड़ हो गई। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित के निवल प्रभाव के कारण था: (ए) बचत बांड, सरकारी प्रतिभूतियों, टी-बिल और नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी) सहित बकाया केंद्र और राज्य सरकार के ऋणों की सेवा के लिए प्राप्त प्रबंधन आयोग में वृद्धि;

(बी) वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋणों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से वसूले गए फ्लोटेशन शुल्क में वृद्धि; और (सी) वर्ष 2020-21 के लिए नौ महीने की अवधि की तुलना में 2021-22 में चालू लेखा वर्ष बारह महीने का है।

XII.20 *वसूली किया गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि, ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय* : इन आय मदों से आय 2020-21 में ₹(-)101.81 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹343.19 करोड़ हो गई।

व्यय

XII.21 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों के निष्पादन के क्रम में स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय के साथ-साथ एजेंसी प्रभार/ कमीशन, नोटों के मुद्रण, मुद्रा के विप्रेषण पर व्यय करता है। बैंक का कुल व्यय 2020-21 में ₹34,146.75 करोड़ से 280.13 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹1,29,800.68 करोड़ हो गया (सारणी XII.10)।

i) ब्याज भुगतान

वर्ष 2021-22 के दौरान, ब्याज के रूप में ₹1.77 करोड़ की राशि डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (स्टाफ सदस्यों की संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु स्थापना) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा की गई थी।

ii) कर्मचारी लागत

कुल कर्मचारी लागत 2020-21 के ₹4,788.03 करोड़ से 19.19 प्रतिशत घटकर 2021-22 में ₹3,869.43 करोड़ रह गई। यह गिरावट 2021-22 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की उपचित देयताओं के लिए रिज़र्व बैंक के व्यय में कमी के कारण आयी थी।

iii) एजेंसी प्रभार/ कमीशन

ए) सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक इन एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया एजेंसी कमीशन 2020-21 के ₹2,611.05 करोड़ से 47.79 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹3,858.95 करोड़ हो गया। इस वृद्धि का मुख्य कारण 2020-21 के लिए नौ महीने की अवधि की तुलना में चालू लेखा वर्ष के बारह महीने का होना था।

सारणी XII.10: व्यय

(₹ करोड़)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.97	1.16	1.34	1.10	1.77
ii. कर्मचारी लागत	3,848.51	6,851.07	8,928.06	4,788.03	3,869.43
iii. एजेंसी प्रभार/ कमीशन	3,903.06	3,910.21	3,876.08	3,280.06	4,400.62
iv. नोटों का मुद्रण	4,912.52	4,810.67	4,377.84	4,012.09	4,984.80
v. प्रावधान	14,189.27	63.60	73,615.00	20,710.12	1,14,667.01
vi. अन्य	1,422.33	1,407.44	1,742.61	1,355.35	1,877.05
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	**28,276.66**	**17,044.15**	**92,540.93**	**34,146.75**	**1,29,800.68**

बी) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन (पीडी)

रिज़र्व बैंक द्वारा 2020-21 में प्राथमिक व्यापारियों को किए गए कुल ₹642.95 करोड़ [विरासत सेवा कर (एसटी) और जीएसटी भुगतनों के कारण ₹159.92 करोड़ की प्रतिपूर्ति सहित] हामीदारी कमीशन का भुगतान 2021-22 में घट कर ₹486.95 करोड़ हो गया। इस प्रकार 2021-22 के लिए हामीदारी कमीशन के कारण व्यय लगातार दूसरे वर्ष उच्च स्तर पर बना रहा। बड़ी मात्रा में सरकारी उधारी तथा घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियों में अनिश्चितता का बाज़ार के रुख पर प्रभाव पड़ता रहा और इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक व्यापारियों ने दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम की हामीदारी के लिए अधिक कमीशन की मांग की।

सी) विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत / बचत बॉण्ड अभिदान के लिए बैंकों को प्रदत्त टर्नओवर कमीशन तथा प्रतिभूति उधारियां एवं उधार देने हेतु प्रबंध (एसबीएलए) पर भुगतान किया गया कमीशन *इत्यादि* शामिल है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त कमीशन 2020-21 में ₹6.30 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹12.29 करोड़ हो गया।

डी) बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों, दलालों आदि को अदा किया गया शुल्क

बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षा एवं दलाली सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क 2020-21 में ₹19.76 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹42.43 करोड़ हो गया।

iv) नोट मुद्रण

वर्ष 2021-22 के दौरान नोटों की आपूर्ति की संख्या 2,22,505 लाख थी जो कि 2020-21 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या (2,23,301 लाख) से 0.36 प्रतिशत कम थी। बैंक नोटों के मुद्रण पर वर्ष 2020-21 में किया गया व्यय ₹4,012.09 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹4,984.80 करोड़ हो गया।

v) प्रावधान

वर्ष 2021-22 में, आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में अंतरण के लिए क्रमशः ₹1,14,567.01 करोड़ और ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया।

vi) अन्य

2020-21 में हुए अन्य व्यय ₹1,355.35 करोड़ से 38.49 प्रतिशत बढ़ कर 2021-22 में ₹1,877.05 करोड़ हो गए, जिनमें मुद्रा का विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखा परीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय *आदि* शामिल हैं।

आकस्मिक देयताएं

XII.22 रिज़र्व बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹958.98 करोड़ हो गईं। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के अंशतः चुकता शेयर, जिन्हें एसडीआर में मूल्यवर्गित किया गया है, रिज़र्व बैंक की आकस्मिक देयताओं का मुख्य हिस्सा हैं। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता (अनकॉल्ड लायबिलिटी) 31 मार्च 2022 को ₹934.68 करोड़ थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, तीन माह की सूचना पर मांगी जाती हैं।

पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.23 प्रकटीकरण के प्रयोजन से केवल ₹1 लाख और उससे अधिक राशि वाले पूर्व अवधि के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय और आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹61.45 करोड़ और ₹ (-)978.37 करोड़ रहे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान

XII.24 निम्नलिखिम सारणी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान के मामलों को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		मूलधन	ब्याज
1		2	3
i.	31 मार्च, 2022 की स्थित में किसी भी आपूर्तिकर्ता (सूक्ष्म या लघु उद्यमों) को मूल राशि और उस पर देय ब्याज (45 दिनों से अधिक के लिए देय) का बकाया होना	-	-
ii.	वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक की देरी के लिए आपूर्तिकर्ता को मूल राशि के साथ ब्याज की राशि का भुगतान;	0.04	0.001
iii.	वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक देरी होने से आपूर्तिकर्ता को विलंबित भुगतान पर देय ब्याज को जोड़े बिना ही राशि का भुगतान (भुगतान करने में हुई देरी की अवधि के लिए);	-	-
iv.	लेखा वर्ष के अंत में उपचित और बकाया ब्याज की राशि;	-	-
v.	धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से बाद के वर्षों में भी देय और संदेय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त के अनुसार देय ब्याज राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है।	एनए	एनए

एनए: लागू नहीं।

पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.25 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखापरीक्षक

XII.26 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। रिज़र्व बैंक के वर्ष 2021-22 की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा मेसर्स चंदाभॉय एंड जासूभॉय, मुंबई एवं मेसर्स जी. एम. कपाड़िया एंड कंपनी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में और मेसर्स रे एंड रे, कोलकाता, मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन, चेन्नै तथा मेसर्स एस.के.मित्तल एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में की गई।